

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.-3/आर०टी०आई०/33/4770

दिनांक: 09-जनवरी-2020

सेवा में,  
श्री हर्षवर्धन पुत्र जगलाल  
नि०ग्रा०-अलनाभारी  
परगना-अमसिन, तहसील-सदर  
जिला अयोध्या / फैजाबाद  
उ०प्र० पिन-224161  
मो०- 9453 68 02 06

**विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 04.12.2019 के संदर्भ में**

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र दिनांक 04.12.2019, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 10.12.2019 को प्राप्त हुआ है। पत्र में मांगी गयी जानकारी निम्नवत है –

क्रमांक	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
	प्रार्थी तीन भाई क्रमशः हर्षवर्धन (प्रार्थी) राम नारायण व रामलौट है, जिनका संयुक्त रूप से गाटा सं० -890/891/917 व 880 स्थित ग्राम अलनाभारी परगना अमसिन, तहसील सदर, जिला अयोध्या/फैजाबाद है जिसके ऊपर से पावर ग्रिड की निर्मित लाइन गई है। उक्त जमीन में कई सागोन, यूकेलिप्टस पेड़ लगे थे जिनको काटने पर क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा दिया गया जो उक्त ग्राम के प्रधान व लेखपाल की संस्तुति के बाद प्रार्थी राम लौट को लगभग 46000/-रुपये दिया गया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी निम्नवत बिन्दुओं पर सूचना चाहता है।	
01.	उक्त गाटा सं० -890/891/917 व 880 में लगे पेड़ सागोन, यूकेलिप्टस की कटाई के परिपेक्ष्य में जितना क्षतिपूर्ति के रूप में रूपया देना स्वीकृत हुआ साक्ष्य सहित स्पष्ट करें।	उक्त गाटा सं० -890/891/917 व 880 में लगे पेड़ों की कटाई से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान श्री रामलौट पुत्र जगलाल को चेक सं० 18722 दिनांक 26.09.2014 द्वारा प्रदान किया गया।
02.	उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति के रूप में जितना रूपया जिस व्यक्ति को व जिस माध्यम से दिया गया साक्ष्य सहित स्पष्ट करें।	
03.	क्षतिपूर्ति यदि संयुक्त रूप से एक व्यक्ति को (रामलौट पुत्र जगलाल) को दिया गया तो प्रार्थी व उसके भाई राम नारायण द्वारा दी गई अनापत्ति पत्र की प्रमाणित कापी प्रदान करें।	
04.	उक्त प्रकरण में प्रत्येक के लिए जितना क्षतिपूर्ति स्वीकृति किया गया तथा प्रत्येक को जितना रूपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया, प्रमाणक सहित दें।	ग्राम प्रधान तथा तहसीलदार के सत्यापन के आधार पर पावरग्रिड द्वारा मुआवजा राशि श्री रामलौट पुत्र जगलाल को प्रदान की गई।
05.	बिना अनापत्ति –पत्र प्राप्त किये जिस नियम के तहत प्रार्थी व उसके भाई राम नारायण हा हिस्सा रामलौट को दिया गया उस नियम का प्रमाणित कॉपी प्रदान करें।	

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री संजय गुप्ता  
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ० क्षेत्र - ३  
१२ राणा प्रताप मार्ग  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल  
लखनऊ - २२६००१

धन्यवाद,

भवदीय,

[कैलाश कुमार गुप्ता]  
उप महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित-सी. पी. आई. ओ., उ. क्षेत्र - ३,  
पावरग्रिड, लखनऊ